18/6/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान अधिनियम न्याय आपके द्वार कैम्प धौलपुर में पेश हुई। पत्रावली की सुनवाई की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह दावा वादिनि द्वारा विवादित आराजी में अपने पति के हिस्से पर खाते के 1/3 भाग का बटवारा कराकर देने बाबत विवाद किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि विवादित आराजी ख.न. 176 रकबा 0.11 बिस्वा, 177 रकबा 0.11 बिस्वा 16 बिस्वा, इस्तिमरार ग्राम नसीलपुर राजस्व रिकार्ड में चौबे पुत्र रामराम कौम ब्राह्मण सा.देह की खातेदारी में दर्ज है। चौबे पुत्र रामराम का देहान्त हो चुका है वादिनि तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 उनके वारिसान है। चौबे की विरासत राजस्व रिकार्ड में आजी तक नहीं खोली गयी है।

अतः प्रकरण इस आदेश के साथ निर्णित किया जाता है कि तहसीलदार राजाखेड़ा विवादित आराजी खाता संख्या 42 खसरा नम्बर 176/ग्रा, 177/मि6 इस्तिमरार ग्राम नसीलपुर पर दर्ज खातेदार चौबे पुत्र रामराम जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी विरासत का नामान्तरण कार्य करके खोले। तहसीलदार राजाखेड़ा का लिखा फैसला पत्रावली फैसल मुताबिक बेकर बाद तकमील आखिर दफ्तर हो। इस्तफा सुनाया गया।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2016

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)